

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या :- अपील सं० धारा 90बी(7) 01/2017 एल.आर.एक्ट

1. चान्दाराम
2. हुक्माराम
3. शिवलाल पुत्र/पुत्रियां स्व. गोपालराम जाति मेघवाल, निवासी रोड़ा,
4. शेराराम तहसील नोखा, जिला - बीकानेर ।
5. भंवरी देवी
6. हुरमा देवी
7. सुरजा देवी
8. विमला देवी

अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजस्व तहसीलदार नोखा ।
2. नगर पालिका नोखा, जरिये अधिशाषी अधिकारी, नोखा, तहसील नोखा ।
3. प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा ।

रेस्पॉन्डेंट्स

- उपस्थित: 1- श्री सुरेश चन्द्र व्यास, अभिभाषक अपीलान्ट
2-श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।
3- श्री मौला बक्स, अभिभाषक रेस्पॉन्डेंट सं०2 व 3

निर्णय

दिनांक 18-07-2018

1. यह अपील भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90बी (7) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 17.3.11, जिसके द्वारा विवादित भूमि ग्राम रोड़ा तहसील नोखा के खसरा नं० 1303 व अन्य खसरों की भूमियों को एल.आर. एक्ट की धारा 90बी(1) के तहत खातेदारों के अधिकार पुनर्ग्रहीत किये जाकर राजस्व रिकॉर्ड में नगर पालिका नोखा के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं, के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 3.10.2017 को प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी एवम् उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष नगर पालिका नोखा ने पत्र दिनांक 17.1.2011 के द्वारा ग्राम रोड़ा के अन्य खसरा नम्बर के साथ खसरा नं. 1303 रकबा 1.98 के सम्बन्ध में अवगत कराया कि ग्राम रोड़ा के उक्त खसरा की भूमि का उपयोग अकृषि के रूप में हो रहा है, आवासीय सुविधा की दृष्टि से सड़क, बिजली पानी आदि की मूलभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध है तथा भूमि मास्टर प्लान के अन्तर्गत एवं नगरपालिका के मास्टर प्लान सीमा

में है । अतः उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 90-बी के तहत सौमोटो की कार्यवाही की जावे । उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा अधिशीषी अधिकारी, नगर पालिका नोखा के उक्त पत्र दिनांक 17-1-11 के सम्बन्ध में तहसीलदार, नोखा से रिपोर्ट प्राप्त की गयी । तहसीलदार, नोखा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.2.2011 में अवगत कराया कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारों के नाम अंकित है, मौके पर कृषि उपयोग नहीं होकर भूमि पूर्ण रूप से आवासीय उपयोग में हो रही है एवं जो व्यक्ति आवास निर्माण करके रह रहे हैं , उन्हें पानी-बिजली की सुविधा उपलब्ध है तथा किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है । तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नोखा द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में पुर्नग्रहित (Resume) करने की कार्यवाही की जाने हेतु सार्वजनिक सूचना क्रमांक एसडीओ/राजस्व/90बी/2010/136 दिनांक 15.2.2011 जारी करते हुए अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका नोखा को उक्त सार्वजनिक सूचना राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने हेतु लिखा गया, जिस पर नगर पालिका नोखा द्वारा सार्वजनिक सूचना दिनांक 15.2.11 राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति दिनांक 16.2.2011 में प्रकाशन करवाया गया । उक्त सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नोखा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी(1) के तहत अन्य खसराओं के साथ ग्राम रोड़ा के खसरा नं0 1303 की 1.98 हैक्टेयर भूमि के खातेदारों के अधिकार पुर्नग्रहित (Resume) किये जाकर तहसीलदार, नोखा को राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि नगर पालिका नोखा के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 17.3.2011 पारित कर तहसीलदार नोखा को उक्त भूमि नगर पालिका नोखा के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये । प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नोखा के उक्त निर्णय दिनांक 17.3.11 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।


3. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर प्रथमतः क्षेत्राधिकार बिन्दु पर बहस सुनकर प्रकरण धारा 90बी(7) के अन्तर्गत सुनवाई क्षेत्राधिकार में मानते हुए ग्राह्य किया गया । अपील में रेस्पोंडेंट के निमित्त सम्मन जारी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड शामिल किया गया । अपील में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा धारा 90-बी(1) के अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश दिनांक 17-3-11 पारित कर अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि ग्राम रोड़ा के खसरा नं. 1303 की 1.98 हैक्टेयर भूमि रिज्युम की गयी है । यदि धारा 90-बी(1) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उस भूमि को पुर्नग्रहित किया जाता है तो पीड़ित पक्षकार धारा 90बी की उपधारा-7 के अन्तर्गत सम्भागीय आयुक्त

न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है । अतः प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड न्यायालय नोखा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.3.11 के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील धारा 90बी(7) के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । क्षेत्राधिकार बिन्दु पर अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आरआरटी 2016 पेज 430, आरआरटी 2016(2) पेज 740 एवं आरआरटी 2014(1) पेज 711 अवलोकनीय बताया । अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि अपीलान्टान की ग्राम रोड़ा तहसील नोखा में स्थित खसरा नं0 1303 की तादादी 1.98 हैक्टेयर पुश्तैनी भूमि कृषि योग्य है व उक्त कृषि योग्य भूमि पर किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य या निर्माण नहीं है । महज प्रार्थीगण के खसरा नम्बर की भूमि में से सड़क निकलवाने के मकसद से प्रार्थीगण की कृषि भूमि के आस पास अन्य खसरों में कॉलोनियां काटने, निर्माण व विक्रय की सुविधा के लिहाज से अपीलाधीन आदेश दिनांक 17-3-11 पारित कर धारा 90-बी के तहत खातेदारों के अधिकार पुर्नग्रहित कर राजस्व रिकॉर्ड में नगर पालिका नोखा के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है । उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.3.11 अपीलान्ट की पीठ पीछे पारित किया गया है । रकबा रिज्युम करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के निमित्त कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है । जबकि धारा 90-बी (2) के प्रावधानों के अनुसार रकबा रिज्युम करने से पूर्व प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को व्यक्तिशः कारण बताओ नोटिस दिया जाना आज्ञापक प्रावधान है। इस सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा आरआरटी 2013(2) पेज 1326 अवलोकनीय बताया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीन ग्रामों की कृषि भूमि को धारा 90 बी के तहत पुर्नग्रहित (Resume) करने की सार्वजनिक सूचना महज दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में प्रकाशित कर कानूनी तकमील पूरी की गयी है, जबकि उक्त समाचार पत्र नोखा तहसील में उपलब्ध नहीं है । अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट शिवलाल द्वारा पुलिस थाना नोखा में नगरपालिका चेयरमैन व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका तथा अन्य लोगों के विरुद्ध फौजदारी अभियोग 397/2017 दिनांक 16.7.17 को दर्ज करवाये जाने के पश्चात दिनांक 15.9.17 को प्रथम बार अपीलाधीन आदेश की जानकारी मिली तो अपीलान्टान ने अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय से प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रयास किया । पूछताछ करने पर पता चला कि अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर में भिजवाई हुई है । इस पर बीकानेर आकर दिनांक 20.9.17 को प्रमाणित प्रतिलिपि का प्रार्थना पत्र पेश कर नकल प्राप्त कर जानकारी दिनांक 15.9.17 से अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की गयी है । अभिभाषक अपीलान्ट ने मियाद बिन्दु के सम्बन्ध में आरआरटी 2001(2), आरआरटी 2013(2) पेज 1326 अवलोकनीय बताया


सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर


तथा निवेदन किया कि मियाद बिन्दु पर उदार रुख अपनाते हुए देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं0 2 व 3 ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि ग्राम रोड़ा के खसरा नं0 1303 की तादादी 1.98 हैक्टेयर खातेदारी बारानी कृषि भूमि को अपीलान्ट्स द्वारा संपरिवर्तन करवाये बिना ही भू-खण्ड काट कर बेचान कर दिया गया। उक्त विवादित भूमि मौके पर कृषि उपयोग नहीं होकर पूर्ण रूप से आवासीय उपयोग में होने के कारण तहसीलदार की रिपोर्ट पर प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड न्यायालय नोखा द्वारा उक्त भूमि से सम्बन्धित खातेदारों के अधिकार पुर्नग्रहित (रिज्यूम) किये जाकर आदेश दिनांक 17.3.11 द्वारा विवादित 1.98 हैक्टेयर भूमि नगर पालिका नोखा के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। धारा 90-बी में दिये गये प्रावधान अनुसार कॉलोनी एरिया में कम से कम 40-60 प्रतिशत के अनुपात आवश्यक है, जिसमें सड़क, स्कूल, अस्पताल, पार्क आदि सुविधाओं के लिए 40 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत भूमि पर भूखण्ड निर्माण हेतु आरक्षित होनी चाहिये। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा विवादित भूमि में से 19 भूखण्डों का विक्रय किया जा चुका है, जिसमें एक प्लोट की कीमत 30 से 50 लाख रुपये प्राप्त की गयी है। इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा 80 प्रतिशत भूमि का विक्रय कर दिया गया। कॉलोनी एरिया में कम से कम 30 फुट की सड़क होनी चाहिये, किन्तु अपीलान्ट्स द्वारा सड़कों को संकीर्ण कर 15 से 17 फुट रोड़ छोड़ी गयी है, जिस पर वाहनों का आवागमन कठिन हो रहा है एवं फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच सकती है। इनके द्वारा कॉलानी के विकास हेतु कोई भी सुविधा शुल्क राशि नगर पालिका में जमा नहीं करवाई गयी है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.3.11 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 3.10.17 को 6 वर्ष 6 माह पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गयी है तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 15.9.17 को होना बताया है, जबकि नगरपालिका नोखा द्वारा विवादित 1.98 हैक्टेयर भूमि डवलपमेंट कार्य सड़क नाली आदि कार्य करवाया गया, तब इनके द्वारा एतराज नहीं किया गया एवम् 6 वर्ष से अधिक समय बाद यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से मियाद बिन्दु पर ही खारिज फरमायी जावे।
6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। यह अपील प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नोखा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.3.11 के विरुद्ध अपीलान्ट्स द्वारा 6 वर्ष 6 माह की देरी से इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। मियाद बिन्दु एवं गुणावगुण पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-


संभागीय आयुक्त
षीकानेर

I. मियाद बिन्दु एवं गुणावगुण के सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रथम आधार यह लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम रोड़ा के खसरा नं० 1303 की 1.98 हैक्टेयर पुश्तैनी भूमि कृषि योग्य है व उक्त कृषि योग्य भूमि पर किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य या निर्माण नहीं है । अपीलार्थीगण की उक्त भूमि रिज्यूम करने से पूर्व प्रार्थीगण अपीलान्ट को व्यक्तिशः कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किये गये हैं । भूमि रिज्यूम करने की सार्वजनिक समाचार पत्र दैनिक नव ज्योति में प्रकाशन करवाया गया । उक्त दैनिक नवज्योति अखबार नोखा तहसील में उपलब्ध नहीं होता है ।

न्यायालय के अनुसार हम अभिभाषक अपीलान्ट के उक्त कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि नगर पालिका नोखा की रिपोर्ट दिनांक 17.1.11 अनुसार के अनुसार ग्राम अन्य खसरा नम्बर के साथ रोड़ा के खसरा नं० 1303 की 1.98 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग शत प्रतिशत आवासीय उपयोग में लिया जा रहा था तथा उक्त खसरे की भूमि पर आवासीय सुविधा की दृष्टि से मूलभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध थी । उक्त विवादित 1.98 हैक्टेयर कृषि भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स द्वारा धारा 90-बी की कार्यवाही करवाये बिना ही अपने स्तर से प्लोट काटे जाकर 19 व्यक्तियों को भूमि का बेचान कर दिया । इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा अपने स्तर से 80 प्रतिशत भूमि का विक्रय कर दिया गया, जबकि धारा 90 बी कार्यवाही हेतु कम से कम 40-60 प्रतिशत का अनुपात रहना आवश्यक है । इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा विवादित कृषि भूमि का अपने स्तर से विक्रय करने पर उक्त भूमि के आवासीय उपयोग करने के सम्बन्धमें नगर पालिका से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा उक्त विवादित भूमि को रिज्यूम करने हेतु व्यक्तिशः नोटिस जारी नहीं कर राज्य स्तरीय दैनिक नव ज्योति समाचार पत्र में ग्राम के नाम वार्डज एवं खसरा वार्डज सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाया जाकर 15 दिवस में आपत्तियां आमंत्रित की गयी एवं कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर विवादित भूमि को नगरपालिका नोखा के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है । अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन कि दैनिक नवज्योति राज्य स्तरीय समाचार पत्र है, जो नोखा तहसील में उपलब्ध नहीं होता है, यह कथन मानने योग्य नहीं है । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा हमारे समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जो यह साबित करता हो कि नोखा तहसील क्षेत्र में दैनिक नव ज्योति अखबार उपलब्ध न हो।



संभागीय आयुक्त
बीकानेर

II. विलम्ब के सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलान्ट्स ने यह आधार यह लिया है कि प्रकरण में फौजदारी प्रकरण सं० 397/17 दिनांक 16.7.17 को दर्ज करवाये जाने के पश्चात् दिनांक 15.9.17 को प्रथम बार अपीलाधीन आदेश की जानकारी मिलने पर दिनांक 20.9.17 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर जानकारी से अपील अन्दर मियाद इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ?

न्यायालय के अनुसार हम अभिभाषक अपीलान्ट के उपर्युक्त कथन से सहमत नहीं हैं । अपीलान्ट्स द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.3.2011 के विरुद्ध इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 3.10.2017 को 6 वर्ष 6 माह के पश्चात् प्रस्तुत की गयी है । प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय के आदेशानुसार ग्राम रोड़ा के खसरा नं. 1303 की विवादित भूमि 1.98 हैक्टेयर कृषि भूमि के नगर पालिका नोखा के नाम दर्ज होने के पश्चात् नगर पालिका नोखा द्वारा उक्त आवासीय कॉलोनी में विकास हेतु पोल लगवाये जाकर रोड़ लाईट लगवाई गयी तथा सड़क निर्माण किया व नालियां बनाई गयी तो निश्चित रूप से अपीलान्ट्स को यह जानकारी हो गयी थी कि प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेशानुसार विवादित भूमि को पुर्नग्रहित (Resume) कर नगरपालिका नोखा के नाम दर्ज हो चुकी है । अपीलान्ट्स का यह कथन विश्वसनीय नहीं लगता है कि नगर पालिका नोखा द्वारा उक्त भूमि पर विकास कार्य करवाया गया और अपीलान्ट्स को 6 वर्ष 6 माह तक अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हुई हो । हम अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं० 2 व 3 के इस कथन से सहमत हैं कि अपीलान्ट्स द्वारा 6 वर्ष 6 माह तक कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया । अपीलार्थीगण ने धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण उल्लेखित किये हैं अथवा अधिवक्ता से उल्लेखित करवाये हैं, को किसी भी परिस्थिति से सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता है । विलम्ब के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा यह सिध्दान्त प्रतिपादित किया गया है कि विलम्ब के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय प्रकरण के गुणावगुण को नहीं देखा जाना चाहिये । दूसरा सिध्दान्त यह प्रतिपादित किया गया है कि विलम्ब के अपशमन के लिए पर्याप्त कारण पेश नहीं किये गये हैं तो विलम्ब के आधार पर अपील खारिज कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा माननीय न्यायालयों द्वारा मूलभूत सिध्दान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब तक अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील दायर करने के सम्बन्ध में सत्य, विश्वसनीय एवं सन्तोषजनक कारण से अपीलीय न्यायालय को सन्तुष्ट नहीं कर दिया जाता है, तब तक अपील दायर करने में देरी को कन्डोन नहीं किया जा सकता है । उपरोक्त प्रतिपादित किये गये सिध्दान्तों के मध्यनजर

अपीलार्थीगण ने मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं अपील में देरी को कन्डोन करने के जो कारण उल्लेखित किये हैं, वे सत्य विश्वसनीय एवं सन्तोषजनक नहीं है, जिस कारण से माननीय न्यायालयों के सिद्धान्तों से बाध्य होते हुए अपीलार्थीगण द्वारा अपील दायर करने में 6 वर्ष 6 माह की देरी को कन्डोन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है ।

7. परिणामतः यह अपील अपीलार्थीगण मियाद बाहर होने एवम् अपील दायर करने में की गयी देरी क्षमा योग्य नहीं होने से तथा अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं० 2-3 के कथनों, दलीलों से पूर्णतः सहमत होने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह अपील न केवल मियाद के प्रश्न पर अपितु गुणावगुण पर भी संधारण योग्य नहीं है । अतः यह अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा प्राधिकृत अधिकारी एवम् उपखण्ड न्यायालय, नोखा द्वारा ग्राम रोड़ा के खसरा नं० 1303 की विवादित 1.98 हैक्टेयर भूमि के बाबत पारित किया गया अपीलार्थीगण आदेश दिनांक 17.3.2011 यथावत रखा जाता है ।
8. तदनुसार अपील अपीलान्त निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.7.18 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर ।